अनुदान संख्या 1 - कृषि और सहकारिता विभाग
GRANT No.1 – DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND CO-OPERATION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted –					
मूल	Original	15564,12,00		17776,21,00	17305,17,56	-471,03,44
पूरक	Supplementary	2212,09,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					406,94,97
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted –					
मूल	Original	83,85,00		83,86,00	28,50,27	-55,35,73
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					46,06,79

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹47103.44 लाख) अगस्त, 2010, नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹221209.00 लाख के पूरक अनुदान का 21 और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹47103.44 lakhs) constituted 21 percent of the supplementary grants of ₹221209.00 lakhs obtained in August, 2010, November, 2010 and March, 2011 and 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	6183.00	6572.49	6441.56	-130.93
पु.	R.	389.49			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2401"	Major Head "2401"				
फसल कृषि कर्म	Crop Husbandry				
मू.	O.	618641.00			
पू.	S.	221203.00	844852.33	840620.89	-4231.44
पु.	R.	5008.33			
मुख्य शीर्ष "2425"	Major Head "2425"				
सहकारिता	Co-operation				
मू.	O.	3255.00			
पू.	S.	1.00	8706.00	8655.00	-51.00
पु.	R.	5450.00			
मुख्य शीर्ष "2435"	Major Head "2435"				
अन्य कृषि कार्यक्रम	Other Agricultural Programmes				
मू.	O.	28550.00			
पू.	S.	1.00	30976.42	29695.19	-1281.23
पु.	R.	2425.42			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	82130.00			
पू.	S.	3.00	..	..	..
पु.	R.	-82133.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	814726.00			
पू.	S.	1.00	842796.95	842387.01	-409.94
पु.	R.	28069.95			

(I) ₹83390.00 लाख का प्रावधान (₹3.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पैंतालीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹82480.70 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2401" - "वाणिज्यिक फसलें - वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम" - ₹250.00 लाख स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "फसल कृषि कर्म - विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण"-

(i) राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता'' - ₹2500.00 लाख;

(ii) "कृषि विस्तार को जनसंचार-माध्यम सहायता" - ₹1100.00 लाख;

(iii) "कृषि निदानशाला/कृषि व्यवसाय केंद्रों की स्थापना" - ₹150.00 लाख;

(ख) "फसल कृषि कर्म - कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी" -

(i) "कृषि जनगणना" - ₹200.00 लाख;

(ii) "कृषि सांख्यिकी का सुधार" - ₹700.00 लाख;

(iii) "कृषि आर्थिक नीति और विकास के लिए निवेश संबंधी अध्ययन" - ₹600.00 लाख;

(ग) "फसल कृषि कर्म - बीज - बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण" - ₹1100.50 लाख (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/ स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों

(I) Provision of ₹83390.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹3.30 lakhs) remained wholly unutilised under forty five heads; of these ₹82480.70 lakhs accounted for under the following major heads: -

(A) Major Head "2401"- "Commercial Crops –Rainfed Area Development Programme"-₹250.00 lakhs – due to non-approval of the schemes

(B) Major Head "2552" –

(a) "Crop Husbandry – Extension and Farmer's Training" -

(i) "Support to State Extension Services" – ₹2500.00 lakhs;

(ii) "Mass Media Support to Agricultural Extension" – ₹1100.00 lakhs;

(iii) "Establishment of Agri-Clinics/Agri-business Centres"-₹150.00 lakhs;

(b) "Crop Husbandry – Agricultural Economics and Statistics" -

(i) "Agricultural Census" – ₹200.00 lakhs;

(ii) "Improvement of Agricultural Statistics" – ₹700.00 lakhs;

(iii) "Studies on input for Agricultural Economic Policy and Development" – ₹600.00 lakhs;

(c) "Crop Husbandry – Seeds – Development and Strengthening of Seed infrastructure facilities for production and distribution of seeds" – ₹1100.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh);

Provisions under the above seven heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on

को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(घ) "फसल कृषि कर्म - खाद और उर्वरक" -

(i) "जैव खेती के संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना" - ₹300.00 लाख प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने/कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण थे।

(ii) "मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना" - ₹300.00 लाख;

(ङ) "फसल कृषि कर्म - वनस्पति संरक्षण - भारत में पीड़क जन्तु प्रबंधन उपागम का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण" - ₹300.00 लाख;

(च) "फसल कृषि कर्म - कृषि इंजीनियरी - ट्रैक्टर प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान" - ₹200.00 लाख;

(छ) "फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" - ₹12950.00 लाख;

(ज) "फसल कृषि कर्म - तिलहनों का विकास - तिलहन, खजूर तेल, दालों और मक्का का एकीकृत विकास" - ₹2800.00 लाख;

(झ) "फसल कृषि कर्म - बागवानी और वनस्पति फसलें" -

(i) "राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को सहायता अनुदान" - ₹500.00 लाख;

(ii) "केंद्रीय बागवानी संस्थान की स्थापना" - ₹530.00 लाख;

(iii) "पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन" - ₹27000.00 लाख;

projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(d) "Crop Husbandry - Manures and Fertilisers"–

(i) "National Project on Promotion of Organic Farming" – ₹300.00 lakhs- due to non-finalization of proposals/receipt of less proposals.

(ii) "National Project on Management of Soil Health and Fertility"-₹300.00 lakhs;

(e) "Crop Husbandry - Plant Protection - Strengthening and Modernization of Pest Management approach in India"- ₹300.00 lakhs;

(f) "Crop Husbandry – Agriculture Engineering – Tractor Training and Testing Institutes" – ₹200.00 lakhs;

(g) "Crop Husbandry - Commercial Crops – National Food Security Mission" – ₹12950.00 lakhs;

(h) "Crop Husbandry - Development of oilseeds – Integrated Oilseed, Oil Palm, Pulses and Maize Development" - ₹2800.00 lakhs;

(i) "Crop Husbandry – Horticulture and Vegetable Crops" -

(i) "Grants-in-aid to National Horticulture Board" - ₹500.00 lakhs;

(ii) "Estt. of Central Institute of Horticulture" - ₹530.00 lakhs;

(iii) "Horticulture Mission for North East and Himalayan States" – ₹27000.00 lakhs;

(iv) "बांस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास संबंधी राष्ट्रीय मिशन" - ₹4000.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ञ) "अन्य कृषि कार्यक्रम - अन्य व्यय" -

(i) "कृषि का वृहत प्रबंधन" - ₹22800.00 लाख;

(ii) "कृषि सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/संवर्धन" - ₹500.00 लाख;

(ट) "सहकारिता - सहकारी शिक्षा - शिक्षा और प्रशिक्षण की पुनर्गठित स्कीम" - ₹400.00 लाख;

(ठ) "अन्य कृषि कार्यक्रम - विपणन सुविधाएं" -

(i) "लघु कृषक कृषि-व्यवसाय सह संघ" - ₹200.00 लाख; और

(ii) "बाजार अवसंरचना का विकास, श्रेणीकरण और बाजार मानकीकरण" - ₹1500.00 लाख।

उपर्युक्त चौदह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iii) "ग्रामीण गोदामों का निर्माण" - ₹1000.00 लाख कार्यान्वयन अभिकरणों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें - वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम" - ₹600.00 लाख स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2401" - "फसल बीमा - राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीमें लागू किए जाने के लिए जीआईसी/एआईसी को अदायगी" के अंतर्गत ₹95000.00 लाख के मूल प्रावधान को

(iv) "National Mission on Bamboo Technology and Trade Development"– ₹4000.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh);

(j) "Crop Husbandry – Other Expenditure" –

(i) "Macro Management of Agriculture" - ₹22800.00 lakhs;

(ii) "Strengthening/promoting agricultural information system" - ₹500.00 lakhs;

(k) "Co-operation - Co-operative Education – Restructured Scheme of education and training" – ₹400.00 lakhs;

(l) "Other Agricultural Programmes – Marketing Facilities" –

(i) "Small Farmers Agri-Business Consortium" - ₹200.00 lakhs; and

(ii) "Development of Market Infrastructure, Grading and Market Standardization" - ₹1500.00 lakhs.

Provisions under the above fourteen heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(iii) "Construction of Rural Godowns" – ₹1000.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from implementing agencies.

(C) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Crop Husbandry – Commercial Crops – Rainfed Area Development Programme" – ₹600.00 lakhs - due to non-approval of the schemes.

(II) Under Major Head "2401" – "Crop Insurance - Payment to GIC/AIC for Implementation of National Agricultural Insurance

₹221199.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹316199.00 लाख कर दिया जो, तथापि, कम दावे प्राप्त होने के कारण ₹50199.08 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

Schemes (NAIS)" – the original provision of ₹95000.00 lakhs was augmented to ₹316199.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹221199.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹50199.08 lakhs – due to receipt of less claims.

(III) मुख्य शीर्ष "2401" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2401" - savings occurred under the following heads:-

(का) "बीज" -

(A) "Seeds" –

(क) "राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र" - ₹101.99 लाख की बचत (₹285.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(a) "National Seeds Research and Training Centre" - saving of ₹101.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹285.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals.

(ख) "पी.वी.पी. विधान लागू किया जाना" - ₹1072.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) "Implementation of P.V.P. Legislation" – saving of ₹1072.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs); and

(ग) "बीजों के उत्पादन और वितरण संबंधी बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण" - ₹9780.79 लाख की बचत (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹19300.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(c) "Development and Strengthening of Seed Infrastructure Facilities for production and Distribution of Seeds" – saving of ₹9780.79 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹19300.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balance of previous year with the implementing agencies.

(खा) "वनस्पति संरक्षण - वनस्पति संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय" - ₹1084.02 लाख की बचत (₹6829.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग प्राप्त होने और प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(B) "Plant Protection – Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage"- saving of ₹1084.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6829.00.lakhs) was due to less demand from implementing agencies and non finalisation of proposals.

(गा) "वाणिज्यिक फसलें - राष्ट्रीय वर्षा पोषित क्षेत्र प्राधिकरण" - ₹404.72 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(C) "Commercial Crops – National Rainfed Area Authority" - saving of ₹404.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less proposals.

(घ) "विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण - डीओई के केंद्रीय संस्थानों को विस्तार सहायता" - ₹424.60 लाख की बचत (₹1576.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों के प्राप्त होने और कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(D) "Extension and Farmer's Training – Extension Support to Central Institutes of DOE" - saving of ₹424.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1576.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and availability of unspent balance of previous years with the implementing agencies.

(ङ) "कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी" -

(E) "Agricultural Economics and Statistics" –

(क) "कृषि जनगणना" - ₹204.00 लाख की बचत (₹385.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और राष्टीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(a) "Agricultural Census" - saving of ₹204.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹385.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of proposals and non utilization of funds by National Informatics Centre.

(ख) "अंतरिक्ष कृषि मौसम विज्ञान और भू आधारित प्रेक्षण का उपयोग करके कृषि पैदावार का पूर्वानुमान लगाना" - ₹227.18 लाख की बचत (₹850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(b) "Forecasting Agril. Output using Space Agro Metrology and Land Based Observation" - saving of ₹227.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹850.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards forecasting by Indian Metrological Department.

(चा) "तिलहनों का विकास - वृक्ष उत्पादित तिलहन" - ₹433.92 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(F) "Development of Oil Seeds - Tree Born Oilseeds"- saving of ₹433.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs);

(छा) "बागवानी और वनस्पति फसलें" -

(G) "Horticulture and Vegetable Crops" –

(क) "नारियल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन सहित नारियल विकास बोर्ड को सहायता अनुदान" - ₹1800.48 लाख की बचत (₹7140.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) "Grants-in-aid to Coconut Development Board including Technology Mission on Coconut" - saving of ₹1800.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7140.00 lakhs);

(ख) "सूक्ष्म सिंचाई संबंधी राष्ट्रीय मिशन" - ₹275.00 लाख की बचत (₹100000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) "National Mission on Micro Irrigation" - saving of ₹275.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100000.00 lakhs); and

(ग) "नारियल उद्यानों के पुनर्रोपण ओर नवीकरण के लिए अनुदान" - ₹3500.00 लाख की बचत (₹6900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(c) "Grants for replanting and rejuvenation of Coconut Gardens" - saving of ₹3500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6900.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

(घ) "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" - ₹9111.71 लाख की बचत (₹106198.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और एक समान शेयर उपलब्ध न होने और राज्यों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(जा) "अन्य व्यय" -

(क) "एमआईएस/पीएसएस के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड को अनुदान" - ₹32700.00 लाख की बचत (₹42500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वस्तुओं का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होने की वजह से पीएसएस के अंतर्गत अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "कृषि सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/संवर्धन" - ₹2258.93 लाख की बचत (₹4400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" - ₹647.28 लाख की बचत (₹750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने/कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष "2435" - "विपणन और गुणता नियंत्रण - विपणन सुविधाएं" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "विपणन अनुसंधान, सर्वेक्षण और विपणन सूचना तंत्र"- ₹240.44 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान

Savings under the above four heads were due to receipt of less proposals and availability of unspent balance of previous years with the implementing agencies.

(d) "National Horticulture Mission" - saving of ₹9111.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹106198.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous years with the implementing agencies and non-availability of matching share and receipt of less proposals from States.

(H) "Other Expenditure" -

(a) "Grants to National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited for MIS/PSS" - saving of ₹32700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹42500.00 lakhs) was due to non procurement under PSS owing to prices of commodities ruled above minimum support price.

(b) "Strengthening/Promoting Agricultural Information System" - saving of ₹2258.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4400.00 lakhs); and

(c) "Rashtriya Krishi Vikas Yojana" - saving of ₹647.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹750.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of proposals/receipt of less proposals.

(IV) Under Major Head "2435" – "Marketing and Quality Control – Marketing Facilities"– savings occurred under the following heads:-

(A) "Marketing Research, Survey and Marketing Information Network" – saving of ₹240.44 lakhs (against the sanctioned provision of

की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

₹300.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and availability of unspent balance of previous years with the implementing agencies.

(खा) "बाजार अवसंरचना का विकास, श्रेणीकरण और विपणन मानकीकरण" - ₹692.06 लाख की बचत (₹13330.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) थोक बाजार के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने और ग्रामीण बाजार के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) "Development of Market, infrastructure, grading and Marketing Standardisation" - saving of ₹692.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13330.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for wholesale market and non-receipt of proposals for rural market.

(V) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes" – savings occurred under the following heads:-

(का) "फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें - जूट प्रौद्योगिकी मिशन - लघु मिशन-II" - ₹368.43लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Crop Husbandry – Commercial Crops – Jute Technology Mission – Mini Mission -II" - saving of ₹368.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs); and

(खा) "फसल कृषि कर्म - बीज - बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण" - ₹6265.20 लाख की बचत (₹19235.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Crop Husbandry – Seeds - Development and Strengthening of Seed Infrastructure Facilities for Production and Distribution of Seeds" - saving of ₹6265.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19235.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम प्रस्तावों के प्राप्त होने और राज्य सरकारों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals and availability of unspent balance of previous years with the State Governments.

(VI) सात शीर्षों के अंतर्गत ₹552.72 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक से 96 प्रतिशत तक थीं।

(VI) Under seven heads savings of ₹552.72 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting more than 10 percent to 96 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹94583.38 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹6.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (₹94583.38 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹6.00 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2401" -

(A) Major Head "2401" –

(क) "वनस्पति संरक्षण - राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान" - ₹420.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹418.80 लाख था।

(ख) "वाणिज्यिक फसलें - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" - ₹6003.74 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5925.67 लाख था।

(ग) "विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण" -

(i) "राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-I" - ₹230.83 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹229.65 लाख था।

(ii) "कृषि विस्तार को जन संचार माध्यमों की सहायता" - ₹13099.41 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹12739.32 लाख था।

(घ) "फसल बीमा" -

(i) "मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम" - ₹35000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹34999.99 लाख था।

(ii) "संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम" - ₹2500.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2499.03 लाख था।

(ङ) "कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी - कृषि आर्थिक नीति और विकास के लिए निवेश संबंधी अध्ययन" - ₹1730.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1648.46 लाख था।

(च) "कृषि इंजीनियरी" -

(i) "किसानों के खेतों में बागवानी उपस्करों सहित नव विकसित कृषि उपस्करों का प्रशिक्षण और उनका प्रदर्शन करने की बाहरी स्रोतों से व्यवस्था" - ₹170.60 लाख।

(a) "Plant Protection - National Institute of Plant Health Management" - ₹420.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹418.80 lakhs.

(b) "Commercial Crops – National Food Security Mission" – ₹6003.74 lakhs. Actual excess, however, was ₹5925.67 lakhs.

(c) "Extension and Farmer's Training"-

(i) "National Agricultural Extension Project-I" - ₹230.83 lakhs. Actual excess, however, was ₹229.65 lakhs.

(ii) "Mass Media Support to Agricultural Extension"- ₹13099.41 lakhs. Actual excess, however, was ₹12739.32 lakhs.

(d) "Crop Insurance" –

(i) "Weather Based Crop Insurance Scheme" - ₹35000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹34999.99 lakhs.

(ii) "Modified National Agriculture Insurance Scheme" - ₹2500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2499.03 lakhs.

(e) "Agricultural Economics and Statistics - Studies on input for Agricultural Economic Policy and Development" – ₹1730.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1648.46 lakhs.

(f) "Agricultural Engineering" –

(i) "Outsourcing of training and demonstration of newly Developed Agricultural Equipments including Horticulture equipments at farmers field" – ₹170.60 lakhs.

(ii) "फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी" - ₹60.75 लाख।

(छ) "तिलहनों का विकास - तिलहन/खजूर तेल/दालों और मक्का का एकीकृत विकास" - ₹16775.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹16751.85 लाख था।

(ज) "बागवानी और कृषि फसलें" -

(i) "राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को सहायता अनुदान" - ₹3200.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3182.90 लाख था।

(ii) "बांस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास संबंधी राष्ट्रीय मिशन" - ₹7282.69 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹6962.58 लाख था।

(झ) "अन्य व्यय - राष्ट्रीय ई—अभिशासन योजना - कृषि" - ₹874.69 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹823.41 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2425" - "अन्य सहकारिताओं को सहायता - सहकारिताओं के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता" - ₹5050.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5049.00 लाख था।

(गा) मुख्य शीर्ष "2435" - "विपणन और गुणता नियंत्रण - विपणन सुविधाएं - ग्रामीण गोदामों का निर्माण" - ₹1984.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1978.71 लाख था।

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - कृषि इंजीनियरी - फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी" - ₹201.67 लाख।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - कृषि और सहकारिता विभाग" - ₹277.04 लाख का अधिक व्यय (₹5965.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे जाने और संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम की

(ii) "Post Harvest Technology" – ₹60.75 lakhs.

(g) "Development of Oil Seeds – Integrated Oilseed/Oil Palm/ Pulses and Maize Development" – ₹16775.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹16751.85 lakhs.

(h) "Horticulture and Vegetable Crops"-

(i) "Grants-in-aid to National Horticulture Board" – ₹3200.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3182.90 lakhs.

(ii) "National Mission on Bamboo Technology and Trade Development"– ₹7282.69 lakhs. Actual excess, however, was ₹6962.58 lakhs.

(i) "Other Expenditure – National e-Governance Plan - Agriculture"- ₹874.69 lakhs. Actual excess, however, was ₹823.41 lakhs.

(B) Major Head "2425" – "Assistance to Other Cooperatives – Assistance to N.C.D.C. for Development of Cooperatives" – ₹5050.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5049.00 lakhs.

(C) Major Head "2435" – "Marketing and Quality Control – Marketing Facilities – Construction of Rural Godowns" – ₹1984.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1978.71 lakhs.

(D) Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Crop Husbandry – Agricultural Engineering – Post Harvest Technology" – ₹201.67 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3451"- "Secretariat - Department of Agriculture and Co-operation"- excess of ₹277.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5965.00 lakhs) was due to filling up

बकाया राशि और छुट्टी नकदीकरण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2401" -

(क) "खाद और उर्वरक - मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना" - ₹106.77 लाख का अधिक व्यय (₹1945.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण" -

(i) "राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता" - ₹1653.19 लाख का अधिक व्यय (₹22375.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) "कृषि निदानशालाओं/कृषि व्यवसाय केंद्रों की स्थापना" - ₹150.00 लाख का अधिक व्यय (₹850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) "बागवानी और वनस्पति फसलें" -

(i) "पूर्वोत्तर और हिमालयवर्ती राज्यों के लिए बागवानी मिशन" - ₹26998.00 लाख का अधिक व्यय (₹13000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ii) "केंद्रीय बागवानी संस्थान की स्थापना" - ₹209.74 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(घ) "कृषि इंजीनियरी - ट्रैक्टर प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान" - ₹126.96 लाख का अधिक व्यय (₹1143.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति

of vacant posts and requirement of additional funds towards arrears of MACPS and leave encashment

(B) Major Head "2401" –

(a) "Manures and Fertilizers-National Project on Management of Soil Health and Fertility" - excess of ₹106.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1945.00 lakhs);

(b) "Extension and Farmers Training"-

(i) "Support to State Extension Services" - excess of ₹1653.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22375.00 lakhs);

(ii) "Establishment of Agri Clinics/Agri Business Centres"- excess of ₹150.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹850.00 lakhs);

(c) "Horticulture and Vegetable Crops" –

(i) "Horticulture Mission for North East and Himalayan States"- excess of ₹26998.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13000.00 lakhs); and

(ii) "Establishment of Central Institute of Horticulture" - excess of ₹209.74 lakhs (against nil provision).

Excess under the above five heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(d) "Agricultural Engineering - Tractor Training and Testing Institutes"- excess of ₹126.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1143.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of

स्कीम की बकाया राशि एवं छुट्टी नकदीकरण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और उपस्करों का प्रदर्शन करने और उनकी अधिप्राप्ति करने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ।

North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards arrears of MACPS and leave encashment and receipt of more demand from implementing agencies for conducting demonstration and procurement of equipments.

(गा) मुख्य शीर्ष "2425" - "सहकारी शिक्षा - शिक्षा और प्रशिक्षण की पुनर्गठित स्कीम" - ₹350.00 लाख का अधिक व्यय (₹2305.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(C) Major Head "2425"- "Co-operative Education - Restructured Scheme of Education and Training"- excess of ₹350.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2305.00 lakhs); and

(घा) मुख्य शीर्ष "2435" - "विपणन और गुणता नियंत्रण - विपणन सुविधाएं - लघु कृषक कृषि-व्यवसाय सह संघ" - ₹200.00 लाख का अधिक व्यय (₹2300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(D) Major Head "2435" - "Marketing and Quality Control - Marketing Facilities - Small Farmers Agri-Business Consortium" - excess of ₹200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2300.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ङ) मुख्य शीर्ष "3601" -

(E) Major Head "3601"-

(क) "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - अन्य अनुदान - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" - ₹441.43 लाख का अधिक व्यय (₹671450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अच्छे कार्यनिष्पादन वाली राज्य सरकारों को अधिक निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।

(a) "Grants for State Plan Schemes - Crop Husbandry - Other Grants - Rashtriya Krishi Vikas Yojana"- excess of ₹441.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹671450.00 lakhs) was due to release of more funds to good performing State Governments

(ख) "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी" -

(b) "Grants for Central Plan Schemes - Crops Husbandry - Agricultural Economics and Statistics"-

(i) "कृषि जनगणना" - ₹356.00 लाख का अधिक व्यय (₹975.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और मानदेय में वृद्धि होने की

(i) "Agricultural Census"- excess of ₹356.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹975.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and

वजह से राज्यों से अतिरिक्त मांगें प्राप्त होने के कारण हुआ।

(ii) "कृषि सांख्यिकी का सुधार" - ₹3430.00 लाख का अधिक व्यय (₹6470.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के वेतन अभिमुखी होने से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की बकाया राशि की अदायगी किए जाने की वजह से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ग) केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(i) "फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें - गहन कपास विकास कार्यक्रम और कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन" - ₹960.70 लाख का अधिक व्यय (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के 27 संघटकों में से केवल 4 संघटकों के लिए प्रावधान किया गया था अत: राज्य सरकारों से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ ।

(ii) "फसल कृषि कर्म - अन्य अनुदान - कृषि का वृहत प्रबंधन" - ₹22864.39 लाख का अधिक व्यय (₹76600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों के किए जाने के कारण हुआ।

(iii) "फसल कृषि कर्म - तिलहनों का विकास - तिलहन, खजूर तेल, दालों और मक्का का एकीकृत विकास" ₹6926.84 लाख का अधिक व्यय (₹32200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभाग द्वारा अनुमोदित बढ़ी हुई वार्षिक कार्य योजना और बढ़ी हुई मिनिकिट आर्थिक सहायता की वजह से राज्य

Sikkim and additional demands from States owing to increase in Honorarium.

(ii) "Improvement of Agricultural Statistics" - excess of ₹3430.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6470.00 lakhs) was due to requirement of additional funds owing to payment of arrears of Sixth Central Pay Commission as the scheme is salary oriented and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(c) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(i) "Crop Husbandry – Commercial Crops – Intensive Cotton Development Programme and Technology Mission on Cotton"- excess of ₹960.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to the receipt of more demand from State Governments, provision being made for only 4 components against the scheme consisting of 27 components.

(ii) "Crop Husbandry – Other Grants - Macro Management of Agriculture" - excess of ₹22864.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹76600.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim

(iii) "Crop Husbandry – Development of Oil Seeds – Integrated Oilseed, Oil Palm, Pulses and Maize Development" - excess of ₹6926.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32200.00 lakhs) was due to requirement of

सरकारों से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता प्राप्त होने के कारण हुआ।

additional funds from State Governments owing to enhanced Annual Action Plan approved by the Department and enhanced Minikit subsidy.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "4070" अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4070" Capital Outlay on Other Administrative Services				
मू.	O.	200.00	5.01	..	-5.01
पु.	R.	-194.99			
मुख्य शीर्ष "4401" फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4401" Capital Outlay on Crop Husbandry				
मू.	O.	2145.00	1789.20	1160.39	-628.81
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-356.80			
मुख्य शीर्ष "4402" मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4402" Capital Outlay on Soil and Water Conservation		200.00	59.82	-140.18
मुख्य शीर्ष "4435" अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4435" Capital Outlay on Other Agricultural Programmes				
मू.	O.	170.00	35.00	18.35	-16.65
पु.	R	-135.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	670.00	..	..	..
पु.	R.	- 670.00			
मुख्य शीर्ष "6425" सहकारिता के लिए कर्ज	Major Head "6425" Loans for Cooperation				
मू.	O.	5000.00	1750.00	1611.71	-138.29
पु.	R.	-3250.00			

(I) ₹870.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of ₹870.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "4070" - "अन्य व्यय - कीटनाशक अधिनियम लागू किया जाना" - ₹200.00 लाख प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "4070" – "Other Expenditure - Implementation of Insecticides Act" - ₹200.00 lakhs - due to non-finalization of proposals.

(खा) मुख्य शीर्ष "4552" - "फसल कृषि कर्म - बागवानी और वनस्पति फसलें - केंद्रीय बागवानी संस्थान की स्थापना" - ₹670.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "4552" – "Crop Husbandry – Horticulture and Vegetable Crops – Establishment of Central Institute of Horticulture" –₹670.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "4401" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "4401" – savings occurred under the following heads:-

(का) "खाद और उर्वरक - मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना" - ₹180.45 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं के कार्यान्वयन

(A) "Manures and Fertilizers – National Project on management of Soil Health and Fertility" – saving of ₹180.45 lakhs (against the sanctioned

में विलम्ब होने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

provision of ₹200.00 lakhs) was due to delayed implementation of projects and non-utilization of funds by Central Public Works Department.

(खा) "कृषि इंजीनियरी - फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान की स्थापना" - ₹854.27 लाख की बचत (₹1020.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) "Agricultural Engineering – Estt. of Farm Machinery Training and Testing Institute"– saving of ₹854.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1020.00 lakhs);

(III) मुख्य शीर्ष "4402" - "मृदा संरक्षण - अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण" के अंतर्गत ₹140.18 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(III) Under Major Head "4402" - "Soil Conservation - All India Soil and Land Use Survey"- saving of ₹140.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs); and

(IV) मुख्य शीर्ष "4435" - "विपणन और गुणता नियंत्रण - विपणन सुविधाएं - बाजार अवसंरचना का विकास, श्रेणीकरण और विपणन मानकीकरण" के अंतर्गत ₹151.65 लाख की बचत (₹170.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(IV) Under Major Head "4435" - "Marketing and Quality Control - Marketing Facilities - Development of Market, Infrastructure, grading and market standardization"- saving of ₹151.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹170.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने/कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to non-finalization of proposals/receipt of less proposals

(V) मुख्य शीर्ष "6425" - "ऋण सहकारिताओं को कर्ज - भूमि विकास बैंक के लिए कर्ज" के अंतर्गत ₹3388.29 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत सरकार के भाग में कमी होने, पुनर्अदायगी न किए जाने और कुछ राज्य भूमि विकास बैकों द्वारा डिबेंचर जारी न किए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "6425"- "Loans to Credit Cooperatives – Loans for Land Development Bank" – saving of ₹3388.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to reduction of Government of India's share, default in repayment and non-floating of Debentures by some of the State Land Development Banks.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹92.29 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 62 प्रतिशत थी।

(VI) Under one head saving of ₹92.29 lakhs occurred constituting 62 percent of the sanctioned provision.

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹200.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "4401" - "खाद और उर्वरक - जैविक खेती के संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना" के अंतर्गत नवम्बर, 2010 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹168.83 लाख था।

4.(I) The above savings were partly (₹200.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in November, 2010 under Major Head "4401" – "Manures and Fertilisers - National Project on Promotion of Organic Farming". Actual excess, however, was ₹168.83 lakhs.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹51.23 लाख का अधिक व्यय हुआ जहां समस्त व्यय निधियों का पुनर्विनियोग करके किया गया था।

(II) Under one head excess of ₹51.23 lakhs occurred where the entire expenditure was met by re-appropriation of funds.